



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-10092026-276104
CG-WB-E-10092026-276104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4724]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 2026/भाद्र 14, 1948

No. 4724]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 2026/BHADRA 14, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व रेलवे)

(सड़क सुरक्षा परियोजना विभाग)

अधिसूचना

कोलकाता, 2 सितंबर 2026

का.आ. 4913(अ).—रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दिए गए टेबल के कॉलम (2) में उल्लिखित भूमि अधिग्रहण के सक्षम प्राधिकारी (सी ए एल ए) को, उक्त टेबल के कॉलम(4) में वर्णित रेलवे परियोजना (विशेष रेलवे परियोजना) के संबंध में कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत करती है। उक्त टेबल के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लिए यह प्राधिकार होगा तथा यह राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

सारणी

क्र.सं.	भूमि अधिग्रहण के सक्षम प्राधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले के उरमा और बराभूम रेलवे स्टेशन के बीच समपार संख्या जेसी - 40 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।

2	अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले के झंटीपहाड़ी और इन्द्रबिल रेलवे स्टेशन के बीच समपार संख्या केए - 127 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।
3	अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले के आद्रा और जयचंडीपहाड़ रेलवे स्टेशन के बीच समपार संख्या केए - 140 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।
4	अपर जिला मजिस्ट्रेट (एलए), पश्चिम बर्धमान	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले के बर्नपुर और आसनसोल रेलवे स्टेशन के बीच समपार संख्या केए - 162 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।

[फा. सं. दपूरे/कॉन/आरएसपी/मुख्यालय/आरओबी/एलए/एसआरपी/8]

अनिल कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Eastern Railway)

(ROAD SAFETY PROJECTS DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Kolkata, the 2nd September, 2026

S.O. 4913(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions of the Competent Authority of Land Acquisition (CALA) in respect of the Railway Project (Special Railway Project) as mentioned in column (4) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the state as mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

.	Competent Authority of Land Acquisition	State	Name of Railway Project
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Additional District Magistrate (LA), Purulia	West Bengal	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.JC-40 between Urma & Barabhum Railway Station in the Purulia District of West Bengal State.
2	Additional District Magistrate (LA), Purulia	West Bengal	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.KA-127 between Jhantipahari & Indrabil Railway Station in the Purulia District of West Bengal State.
3	Additional District Magistrate (LA), Purulia	West Bengal	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.KA-140 between Adra & Joychandipahar Railway Station in the Purulia District of West Bengal State.
4	Additional District Magistrate (LA), Paschim Bardhaman	West Bengal	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing No.KA-162 between Burnpur & Asansol Railway Station in the Paschim Bardhaman District of West Bengal State.

[F. No. SER/Con/RSP/HQ/ROB/LA/SRP/8]

ANIL KUMAR, Chief Admin Officer (Con)/RSP